अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्र. एफ 27(42)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/प्रगति समीक्षा/2016–17 जयपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2016

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत गत वर्षों के अपूर्ण/प्रगतिरत आवासों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आगामी माह में शुभारम्भ किया जाना है। ग्रामीण आवास योजनाओं के निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के स्तर से हाल ही में उच्च स्तरीय समीक्षा की गई है। राज्य में विभिन्न आवासीय योजनाओं (CMBPL & IAY) के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों को माह नवम्बर, 2016 तक पूर्ण कराये जाने के स्पष्ट निर्देश/लक्ष्य निर्धारण उपरान्त भी 2.93 लाख आवास अभी भी अपूर्ण है, जिसकी मुख्य सचिव, महोदय द्वारा दिनांक 06.10.2016 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समीक्षा किया जाना प्रस्तावित है।

मेरे ध्यान में लाया गया है कि अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद स्तर पर निम्न समस्याएं आ रही है :–

1. आगामी किश्त हेतु निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत/पंचायत समिति द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट/यूसी प्रस्तुत नहीं करना।
2. लाभार्थी को किश्त जारी करने हेतु निर्धारित अवधि 5 कार्य दिवस के क्रम में लाभार्थी द्वारा यूसी प्रस्तुत करने के 2 से 3 माह अपितु कुछ प्रकरणों में इससे भी अधिक की अवधि के उपरान्त राशि जारी करना।
3. सम्बन्धित ग्राम सेवक का दायित्व होने के बावजूद यूसी हेतु लाभार्थी से आवास का फोटोग्राफ प्रस्तुत करने की अपेक्षा।
4. सम्बन्धित ग्राम सेवक का दायित्व होने के बावजूद यूसी हेतु "योजना का लोगो" लाभार्थी से ही लिखवाने की अपेक्षा।

अतः मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में प्रस्तावित वीडीयो कॉफ्रेंसिंग से पूर्व निम्नानुसार समीक्षा/कार्यवाही करें :–

1. अपूर्ण आवासों के साप्ताहिक लक्ष्य आवंटित कर पूर्ण कराने की कार्ययोजना की समीक्षा।
2. 5 व 20 तारीख को ग्राम पंचायत स्तर पर लाभार्थियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, शिविर में प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण एवं महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मस्टररोल जारी करने व भुगतान की समीक्षा।
3. आवासों पर मनोनीत मानदेय आधारित आवास सहायक/टैग अधिकारी के द्वारा अर्जित प्रगति एवं देय मानदेय भुगतान की समीक्षा।
4. समस्त प्रगतिरत आवासों का अभियान के रूप में, आवासों का GEO TAG फोटो मोबाइल एप के उपयोग द्वारा अपलोड कराने की कार्ययोजना की समीक्षा।

5. लाभार्थियों के मोबाइल नम्बर एवं सीबीएस आधारित बैंक खातों का आवाससॉफ्ट पर अपलोड नहीं करने एवं लाभार्थी को पूर्ण कराने बाबत् अनुरोध पत्र (मय जारी राशि की सूचना) डांक द्वारा प्रेषित नहीं करने के दोषी विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों का चिन्हिकरण।
6. अपूर्ण/प्रगतिरत आवासों को पूर्ण कराने हेतु प्रस्तावित प्रचार–प्रसार/अपील जारी कराने की कार्ययोजना की समीक्षा।
7. सीएमबीपीएलग्रामीण आवास योजनान्तर्गत हडको लोन की शेष राशि आवश्यकतानुसार जारी कराकर हडको लोन खाता बंद कराने की समीक्षा।
8. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यों के क्रम में जारी ऑफ–लाईन प्रशासनिक स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा।
9. SECC-2011 के आंकडों के अनुसार भूमिहीन, आवासहीन (राज्य में 2.29 लाख) परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत प्रथम प्राथमिकता से आवास निर्माण हेतु निःशुल्क/रियायती दर पर आवासीय भू–खण्ड (कम से कम 50 वर्गमीटर) उपलब्ध कराने की समीक्षा।
10. स्वीकृति के साथ जारी प्रथम किश्त के उपरान्त अप्रारम्भ/बन्द पडे आवासों की निरीक्षण रिपोर्ट मय फोटोग्राफ आवाससॉफ्ट पर अपलोड नहीं करने के दोषियों का चिन्हिकरण।
11. स्वीकृति के साथ जारी प्रथम किश्त के उपरान्त राजकीय चारागाह, सिवायचक भूमि पर आवास निर्माण का कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त भी तत्समय उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराने के दोषी पटवारी/ग्राम सेवक का चिन्हिकरण।

उक्त सम्बन्ध में मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित वीडियों कॉफ्रेंसिंग में विस्तृत समीक्षा की जावेगी।

27/9/16
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव(मो. एवं मू.) को विभागीय बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

D:\ iay\ letter to district\ Letter.docx